

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प- () जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./2007/टी- ७५९

दिनांक: 28.4.2007

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 37 वीं बैठक दिनांक: 25.4.2007 को मध्याह्न पूर्व 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं०	जोन सं०	प्रस्ताव सं०	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1.		37.1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 36 वीं बैठक दिनांक: 24.3.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक दिनांक: 24.3.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन यात्रा।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 36 वीं बैठक दिनांक: 24.3.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	7	37.2	भूखण्ड सं० ५९, काम्पो कॉलोनी के दृष्टि विभाजित भूखण्ड सं० ५९ए, ५९बी, ५९सी को अतिरिक्त भू-पट्टी आवंटन यात्रा।	उपायुक्त जोन-७ द्वारा प्रस्ताव प्रमुखत किया गया कि संयुक्त ग्रह निर्माण सहकारी समिति की कोम्पो कॉलोनी के भूखण्ड संख्या ५९ का विकल्प हो जाने से भूखण्ड संख्या ५९ए, ५९बी, ५९सी का जोन स्तरीय कमर्टी की बैठक दिनांक 14.12.06 में उपविभाजन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा इन तीनों भूखण्डों ५९ए, ५९बी, ५९सी में क्रमांक: ३५.८२वर्गांगड़, ४०.३०वर्गांगड़, ५४.६६वर्गांगड़ सरकारी भूमि प्राप्ति दोनों के कागण शापित सरकारी भूमि का अतिरिक्त भूपट्टी के रूप में आवंटन किया जावे। प्रकरण पर विद्यार्थी विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि भूखण्ड संख्या ५९ए, ५९बी, ५९सी की मूल भूमि नियामनुसार आवंटन योग्य है तो उपायुक्त जोन सर्वप्रथम भूखण्ड संख्या ५९ए, ५९बी, ५९सी की मूल भूमि के आवंटन/नियमन को कार्यवाही नियामनुसार सम्पादित करे। तथ्यस्थान उक्त भूखण्डों से तगांती दुर्लभ क्रमांक: ३५.८२ वर्गांगड़, ४०.३० वर्गांगड़, ५४.६६ वर्गांगड़ सरकारी भूमि स्ट्रीप लैण्ड (Strip of land) के रूप में वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगांती दर पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही विवरण संलग्न संस्कृति)

सत्रिं आयुक्त (संलग्न संस्कृति)
जिल्हाम प्राविकरण

3.	7	प्रस्ताव संख्या 37.3	हनुमान नगर सी ब्लॉक में हनुमान नगर विकास समिति के साथ सहभागिता के आधार पर याचना गया सामुदायिक केन्द्र को किराया दर बढ़ाने यावत।	<p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सामुदायिक केन्द्र हनुमान नगर, प्राधिकरण एवं विकास समिति की सहभागिता से निर्भित किया गया था। इस सामुदायिक केन्द्र में हनुमान नगर के सभी ब्लॉक गुलमोहर लेन कॉलोनी, एवं शिवराज निकेतन के निवासियों द्वारा सहभागिता से राशि व्यव की गई है। उक्त सामुदायिक केन्द्र दिनांक 2.1.2003 को हनुमान नगर विकास समिति को रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित किया गया है। इस सामुदायिक केन्द्र का संचालन जयपुर विकास प्राधिकरण के स्टेटिंग आई-30 एफ-4(29)जविषा/87/2821 दिनांक 27.6.92 के प्रावधानो के अनुसार है तथा शादी विवाह को किराया दर हनुमान नगर विकास समिति हारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार रखी गई है तथा वर्तमान में ली जा रही किराया दर को बढ़ाने के प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किये गये हैं : -</p> <p>(अ) प्रथम दिवस का किराया (शादी विवाह कार्य) - 1500/- प्रतिदिन</p> <p>(ब) दूसरे व उसके बाद के दिनांक को (शादी विवाह कार्य) - 5100/- प्रतिदिन</p> <p>(स) बेटके, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. हॉल - 1500/- प्रतिदिन 2. लॉन - 1500/- प्रतिदिन <p>(द) यिजरी का खर्चा - 10/- प्रति यूनिट</p> <p>(ए) सर्विस चार्जेज - 10/- प्रतिशत</p> <p>(ट) अमानता राशि - 500/- रुपये</p>
4.	7	प्रस्ताव संख्या 37.4	गोविन्दपुरा करघनी ब्लॉक नं० ३० डी में आवंटित भूखण्ड संख्या 52 क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर सार्वजनिक गोड में आ जाने से अन्य दुकान का विनियम करने यावत।	<p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि गोविन्दपुरा करघनी के डी ब्लॉक में कुल 60 दुकानें सूजित की गई थीं। उसमें से आवंटित गोड को 6 लेन बड़ी करने व चाँड़ा करने के कारण हाराये गये दुकानदारों को 44 दुकानें आवंटित की गई जिसमें पूरण सेनी को दुकान सं. 52 आवंटित की गई। जविषा द्वारा सार्वजनिक गोड निकालने के कारण मानचित्र में संशोधन वह अन्य कई दुकानों के साथ दुकान सं. 52 को विनापित कर दिया गया। चूंकि उक्त दुकान सं. 52 सार्वजनिक गोड में आ गई है तथा इसके स्थान पर अन्य दुकान का आवंटन किया जावे।</p> <p>प्रकारण पर विचार विवरण कर निर्णय लिया गया कि चूंकि विचाराधीन दुकान कोनर दुकान नहीं थी अतः हस्तक्षेप एवं उक्त दुकान कोनर की दुकान नहीं दी जा सकती और कोनर की दुकान के अतिरिक्त अन्य दुकान दिये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। अतः पूर्व में आवंटित दुकान सं. 52 के स्थान पर उसी आकार की दुकान सं. 49यी योजना की तत्समय की व्यवसायिक आरक्षित दर 4000/- प्रतिवर्गमीटर पर विनियम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p>

~~अति. आयुक्त (एल.पी.डी.)~~
नयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5.	7	प्रस्ताव संख्या- 37.5	भूखण्ड संख्या- ए-40 (कॉर्नर) गोविन्दपुरा करधनी आवासीय योजना के जारी साइट प्लान 12.5 x 22'-0'' के स्थान पर 15'-0'' x 22'-0'' अर्थात् 55 वर्गमीटर के आवंटन एवं बढ़े हुए क्षेत्रफल की दर निर्धारण के संबंध में।	<p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री पूरण चंद गुप्ता को प्राधिकरण की गोविन्दपुरा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए-40 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर का आवंटन सौंठी द्वारा दिनांक 4.6.97 को किया गया था। भूखण्ड का क्षेत्र पत्र दिनांक 26.9.2000 को एवं दिनांक 27.9.2002 को 267.26 वर्गमीटर का लीज डॉड तथा 12.5 x 22 मीटर का स्थल मानचित्र जारी किया गया। प्रार्थी द्वाय, भौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार 15 x 22 वर्गमीटर भूमि का संशोधित साइट प्लान जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण जोन स्तरीय समिति के दैठक दिनांक 19.10.2006 में प्रस्तुत हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि भौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार प्रार्थी को संशोधित साइट प्लान जारी करने से पूर्व नियमानुसार राशि जमा कराई जावे तथा बढ़े हुए क्षेत्रफल 2.5 x 22= 55 वर्गमीटर को राशि किस दर से ली जानी है, प्रकरण एलपीसी की मिटिंग में प्रस्तुत किया जावे।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श किया जाकर भूखण्ड के बढ़े हुए क्षेत्रफल 55 वर्गमीटर को भूपट्टी (Strip of land) मानते हुए योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर भूपट्टी आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p>
6.	8	प्रस्ताव संख्या- 37.6	श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय को गोविन्दपुरा करधनी योजना में पुनर्यास के तहत व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन करने याप्त।	<p>उपायुक्त जोन-8 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय ने अन्य किरायेदारों को आवंटित दुकानों के भाँति उसे भी दुकान का आवंटन किये जाने की मांग की है। प्रकरण पूर्व में एलपीसी की 34वी एवं 36वी बैठक में भी प्रस्तुत हुआ था। उक्त प्रकरण का उपायुक्त द्वारा गहन परीक्षण किया गया। परीक्षण अनुसार प्रार्थी श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय, श्री लल्लूलाल यादव की दुकान संख्या 15 में गत 10-11 वर्षों से बहँसियत किरायेदार था। लल्लूलाल यादव की कुल 4 दुकानें थीं। लल्लूलाल को 4 दुकानों के बदले 4 दुकानों का ही आवंटन किया जाना था, परन्तु लल्लूलाल यादव 5 दुकानें (दुकान संख्या 12,13,14,15,16) आवंटित कर ली गई। इस प्रकार लल्लूलाल को एक दुकान का अधिक आवंटन कर दिया गया।</p> <p>उपायुक्त जोन-8 द्वारा व्यक्त किया गया कि दुकान नम्बर 12 प्राप्त करने के लिए लल्लूलाल द्वारा कोपरेटिव सोसायटी का पद्धति भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि लल्लूलाल को आवंटित 5 दुकानों में से एक दुकान संख्या 12 को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा उसकी लीज डॉड न्यायालय से निरस्त करायी जायें। राज्य सरकार को जंडीए द्वाय प्रेषित पत्र क्रमांक उपा.8/डी-264 दिनांक 1.3.04 के क्रम में राज्य सरकार से ग्राम स्वीकृति पत्र क्रमांक प-6(2)नवि/3/2004 दि. 12.4.04 के क्रम में उक्त दुकान संख्या 12 के न्यायालय से निरस्त होने के पश्चात् ही प्रार्थी श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय को किरायेदार की हँसियत के क्रम में पात्रता अनुसार दुकान का आवंटन किया जा सकेगा।</p>

~~(३१८)~~
श्रति० आयुक्त (ए.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7.	8	प्रस्ताव संख्या 37.7	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गांविन्दपुरा/सांगानेर में पुनर्वास कर आवंटित किये गये भूखण्ड सं 165 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर कोर्नर का होने के कारण क्षेत्रफल बढ़ जाने से नियमानुसार बढ़ हुए क्षेत्र की राशि दंगे से जमा कराने के संबंध में।	उपायुक्त जोन-8 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी श्री शक्ती बहन्नद को कठपुतली नगर कच्ची घस्ती से हटाकर गांविन्दपुरा (सांगानेर) आवासीय योजना में पुनर्वास कर भूखण्ड संख्या 165 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। आवंटन के पेटे वांछित राशि समयावधि में प्रार्थी द्वारा जमा कराई दी गई थी। उबत आवंटित भूखण्ड कोर्नर का होने के कारण 40.5 वर्गमीटर के स्थान पर मौके पर 45वर्गमीटर का पाया गया। इस द्वारा भूखण्ड के बढ़े हुए 4.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के पेटे वांछित राशि 4 वर्ष 5 माह पर चालू जमा कराई गई। अतः वित्तम्य अवधि के संबंध में नियम लिखा जावे। प्रकरण पर विचार विमर्श किया जाकर नियंत्रण लिया गया कि प्रकरण में नियमानुसार परीक्षण कराया जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे।															
8.	9	प्रस्ताव संख्या 37.8	गम्भरिया विस्तार योजना में रोड अलाइनमेट में परिवर्तन होने के कारण भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल की दर निर्धारण बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकरण की गम्भरिया विस्तार योजना में लाटरी के द्वारा भूखण्डों का आवंटन किया गया था। भूखण्ड संख्या वी-462 से वी-469 के आवंटियों द्वारा भूखण्डों के पेटे जमा कराई जाने वाली राशि समय पर जमा करा दी गई। रोड अलाइनमेट में परिवर्तन हो जाने के कारण उपरोक्त भूखण्डों का आकार, प्रत्येक भूखण्ड 162 वर्गमीटर से बढ़कर 275 वर्गमीटर का हो गया। इस प्रकार प्रत्येक भूखण्ड में 113 वर्गमीटर क्षेत्रफल की बढ़ि हो गई है। अतः बढ़े हुए क्षेत्रफल की योजना की वर्तमान आवासीय आवश्यित दर को दुगनी दर तो जब्त कर आवंटियों को कम्बजा पत्र व पट्टा जारी कर दिया जावे। प्रकरण पर विचार विमर्श किया जाकर नियंत्रण लिया गया कि उबत भूखण्डों के अधिक बढ़े हुए क्षेत्रफल के अनुसार, बढ़े हुए क्षेत्रफल का उआवंटन अतिरिक्त भूपट्टी के रूप में किया जाना उचित नहीं है। अतः योजना में इन भूखण्डों को रीप्लानिंग (Re-planing) करते हुए पूर्व में आवंटित किये क्षेत्रफल के बगायर भूखण्ड सूचित किये जावे तथा आवंटित क्षेत्र से अधिक भूंकों को चिन्हित कर नीलामी द्वारा विक्रय किया जावे। अगर मौके पर इस अनुसार कार्यवाही संभव नहीं हो तो अन्य स्थान पर मूल भूखण्डों के क्षेत्रफल के बगायर के भूखण्डों के अनुसार ही रीप्लानिंग (Re-planing) कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।															
9.	11	प्रस्ताव संख्या 37.9 37.9(1)	आपरेशन गृहकुल अधियान, 2005 के अन्तर्गत विद्यालयों को भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्यालयों का निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं :- <table border="1"><thead><tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम विद्यालय</th><th>ग्राम/तहसील</th><th>ख.न.</th><th>क्षेत्रफल</th></tr></thead><tbody><tr><td>१.</td><td>राजीव गांधी पाठ्यालय विमलपुरा</td><td>विमलपुरा/सांगानेर</td><td>326</td><td>1500व.मी.</td></tr><tr><td>२.</td><td>राजकीय प्रार्थिमिक विद्यालय मधुगावाला</td><td>मधुगावाला/सांगानेर</td><td>78</td><td>4000व.मी.</td></tr></tbody></table> अतः विचार विमर्श उपरान्त उक्तानुसार भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि नृकि उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि आवंटन निःशुल्क चाहा जा रहा है। अतः निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में गत्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर तथा आवश्यकतानुसार भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए आवंटन की कार्यवाही की	क्र. सं.	नाम विद्यालय	ग्राम/तहसील	ख.न.	क्षेत्रफल	१.	राजीव गांधी पाठ्यालय विमलपुरा	विमलपुरा/सांगानेर	326	1500व.मी.	२.	राजकीय प्रार्थिमिक विद्यालय मधुगावाला	मधुगावाला/सांगानेर	78	4000व.मी.
क्र. सं.	नाम विद्यालय	ग्राम/तहसील	ख.न.	क्षेत्रफल															
१.	राजीव गांधी पाठ्यालय विमलपुरा	विमलपुरा/सांगानेर	326	1500व.मी.															
२.	राजकीय प्रार्थिमिक विद्यालय मधुगावाला	मधुगावाला/सांगानेर	78	4000व.मी.															

(अधिकारी)
प्रति० मायुक्त (ए.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1	प्रस्ताव संख्या 37.9(2)	पांच बल्टी स्थित नाले पर प्राधिकरण के निर्मित व्यावसायिक परिसर पर राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण को पूर्व में आंबटित निर्मित कार्यालय भवन की छत आवंटन के संबंध में भूमि एवं सम्पत्ति समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला एजेण्डा नोट।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि राजस्तार राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, राजस्थान, जयपुर को सी रक्कीम रिव्हिं पांच यती नाले पर प्राधिकरण द्वारा निर्मित व्याणिज्यिक परिसर का प्रथम तल जो पूर्व में उन्हे आंबटित है को छत का अधिकार वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के पास है। चूंकि उनके वर्तमान कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैठने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं हैं तथा हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य आयोग की सर्किट बैच लगाने के आदेश पारित किये हैं तथा राज्य आयोग में 2 अन्य सदस्य नियुक्त होने की प्रक्रिया लायी है, उक्त नवे निर्माण में सर्किट बैच के लिये न्यायालय भवन तथा उनका म्याफ, चैम्पर, कर्मचारियों आदि के बैठने के लिए भी स्थान की आवश्यकता है अतः प्रथम तल की छत का आवंटन उन्हे कर दिया जावे।
1	प्रस्ताव संख्या 37.9(3)	माननीय जविप्रा अपीलीय अधिकरण के निर्णयानुसार श्री गयाज अहमद एवं अयाज अहमद पुत्र रियाज अहमद को मालवीय नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-539 आवंटन करने के संबंध में।	प्राधिकरण के मुख्य अभियंता से ती गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त परिसर के प्रथम तल क्षेत्रफल 500.55 वर्गमीटर पर एक और मंजिल का निर्माण किया जा सकता है जिसके लिए नीव का निर्माण अनुकूल है लेकिन हितीय मंजिल के ऊपर निर्माण नहीं किया जा सकता। आयोग को पूर्व में 63,82,013 पाठीशन एवं फर्नीशिंग के साथ नज़राना राश 75,08,250/- रूपये में आवंटन किया गया था। आवंटन कराये जाने के संबंध में एक बैठक माननीय अध्यक्ष राज्य आयोग कार्यालय में माननीय न्यायाधिपति श्री एस.के.गर्म की अध्यक्षता में दि. 20.10.2005 को आयोजित की गई जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर विकास आयुक्त एवं उपायुक्त जोन-प्रथम, राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मुख्य अभियंता उपस्थित थे। उक्त बैठक में निर्णय किया गया कि आयोग को उक्त कार्यालय के छत के अधिकार का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावे क्योंकि प्राधिकरण द्वारा आवंटन कीमत लेकर ही किया जावेगा। उक्त निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को क्रमांक डी-2377 दिनांक 17.11.2005 से पत्र भिजवाया गया तथा राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प-3(57)निविव/3/05 दिनांक 28.1.2006 के द्वारा स्वीकृति दी है कि "प्रकरण में छत के अधिकार की कीमत एवं देय राशि जमावदी में छूट प्रदान करने का राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।"

अतः विचार विमर्श उपरान्त राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण को पूर्व में आंबटित निर्मित कार्यालय भवन की छत (हितीय मंजिल) का निश्चाल आवंटन किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि हस मंजिल के ऊपर आयोग द्वारा किसी और मंजिल का निर्माण नहीं किया जावेगा।

उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन नगर विकास न्याय, जयपुर द्वारा मालवीय नगर योजना के तहत ग्राम चकधूना तहसील सांगानर में खसरा नम्बर 7/5/1 व 7/6/1 को 14 घोषा भूमि स्थानों श्री गयाज अहमद एवं अयाज अहमद से अवास कर केलगिरी चर्गीलेवत दूसरे आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर को भालवीय नगर में ही आवंटन कर दिया था प्राप्ती को भूमि का मुआवजा तो दिया गया परन्तु निर्माण का पुआवजा यकाया रहा प्रार्थीगण के नियास का आंशिक कब्जा हॉस्पिटल की भूमि में होने के कारण लगभग 250 वर्ग गज भूमि का कब्जा कलगिरी आई हॉस्पिटल को नहीं संभवताया गया था। प्रार्थीगण द्वारा प्राधिकरण के विरुद्ध जविप्रा अपीलीय अधिकरण में एक रफरेंस वाद संख्या 107/96, अवार्ड के अनुसार 250 वर्गगज भूमि आवंटन हेतु दायर किया गया न्यायालय में दायर उक्त वाद के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण को 250 वर्ग गज भूमि आवंटन

~~प्रति० आयुक्त (एल.वी.सी.)~~
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

किये जाने के निर्देश दिये गये। न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना नहीं होने पर प्रार्थीगण द्वारा पुनः उक्त न्यायालय में रेफरेन्स दायर किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.04 को निम्न आदेश पारित किया गया रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है, प्राधिकरण दो माह के अन्दर मालवीय नगर योजना में ही प्रार्थी को भूखण्ड उपलब्ध कराये साथ ही उनके मकान तथा कूएं का तकरीन लिखकर इस भूखण्ड की राशि काटते हुए शेष राशि यदि कोई बचती हो तो प्रार्थी का भुगतान करे। प्रार्थी को आंवर्टित भूखण्ड का कब्जा मिलने के एक माह के अन्दर विवादित मकान तथा कूएं का कब्जा प्राधिकरण को संभलायेगा यदि आंवर्टित भूखण्ड कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रार्थी एक माह के पश्चात इस भूखण्ड का कब्जा नहीं संभलाते हैं तो प्राधिकरण धारा 72जिविप्रा अधिनियम के अन्तर्गत उस पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा साथ ही उसके मकान तथा कूएं का तकरीन यनाकर इस भूखण्ड की राशि को काटते हुए शेष राशि यदि कोई बचती हो तो प्रार्थी को भुगतान करे। जिविप्रा अपीलीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 27.2.04 की पालना में एल.पी.सी. को 19 वीं घैंडक दिनांक 05.10.05 में महल आवासीय योजना में भूखण्ड उपलब्ध होने की शर्त के आधार पर 250 वर्ग गज का भूखण्ड प्रचलित आवासीय आरक्षित दर पर आंवर्टन करने का निर्णय निया गया। न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना नहीं होने के कारण अवमानना प्रकरण संख्या 596/05 वर्तमान में न्यायालय में जंरकार है। अवमानना प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष महल आवासीय योजना में आंवर्टित भूखण्ड को लेने से मना कर दिया गया तथा मालवीय नगर योजना के भूखण्ड संख्या ए-539 शेत्रफल 215.29 वर्गगज के आंवर्टन वायत सहमति दी गई है। अतः उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण को आंवर्टित किया जावे।

प्रकरण पर विचार विर्माण कर पार्थीगण को पूर्व में महल आवासीय योजना में आंवर्टित भूखण्ड को निरस्त करते हुए मालवीय नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-539 शेत्रफल 215.29 वर्गगज का वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आंवर्टन किये जाने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि निर्देशक विधि के मत पर यह परीक्षण करा लिया जावे कि प्रकरण में अव अपील किये जाने की आवश्यकता एवं अंगीचित्य तो नहीं है।

उपायुक्त जान-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजस्थान परिका लिमिटेड को पूर्व में दिनांक 24.05.88 को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 5-ई शेत्रफल 3477.46 वर्गमीटर का आंवर्टन किया गया था। तथा अब इसी भूखण्ड के सर्वाप भूखण्ड संख्या 6-ए शेत्रफल लगभग 5081-69 वर्गमीटर को आंवर्टन किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण पूर्व एल.पी.सी. को 33 वीं घैंडक में रखा गया था। उक्त घैंडक में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार से निम्न 3 विन्दुओं पर मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को दिनांक 08.09.06 को प्राप्त किया गया।

विन्दु संख्या (अ) संख्या का पूर्व में 3648 वर्गमीटर भूमि दिनांक 24.03.1998 को तत्कालीन व्यावसायिक दर पर आंवर्टित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 07.03.1998 के परिपत्र के लागू होने से पूर्व एवं विना रियायती दर के आंवर्टन को क्या इस परिपत्र दिनांक 07.03.1998 के परिपत्र में वर्णित शेत्रफल एवं दर की समाझों में शामिल माना जावगा या नहीं ?

विन्दु संख्या (घ) परिपत्र दिनांक 07.03.1998 के अनुसार समाचार -पत्रों का अधिकतम 4000 वर्गमीटर भूमि आंवर्टित की जा सकती है इस परिपत्र के लागू होने से पूर्व संख्या का 3648 वर्गमीटर भूमि आंवर्टित हो चुकी है। संख्या द्वारा आंवर्टित भूखण्ड संख्या 6-ए का शेत्रफल लगभग 5081 वर्गमीटर है। ऐसी दशा में समाचार पत्र को अधिकतम आंवर्टन योग्य शेत्रफल के संबंध

(ट्रैकर)
अति. अयुक्त (एल.पी.सी.)
उपर विकास प्राधिकरण, बयपुर

मे हस परिपत्र मे शिथलता की राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। विन्दु संख्या (स) यिन्दु संख्या 'य' पर निर्णय होने के अनुसार ही दर तय करनी होगी कि किस दर पर आवेटन किया जाना है। अतः प्रकरण उपरोक्तानुसार स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित है। राज्य सरकार के नागरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 15.03.07 के द्वारा निम्न जानकारी चाही गई है:- समाचार पत्र को पूर्व मे आवेटित भूमि हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या शर्तें रखी गई थी, आवेटन का आधार नियमन क्या था? की जानकारी के साथ समाचार पत्र को पूर्व से आवेटन ओदेश से संबंधित अभिलेख भी भिजवावे ताकि परीक्षण किया जा सके साथ ही आपके संदर्भित पत्र मे उल्लेखित तीनों यिन्दु 'अ' 'य' 'स' पर भी अपनी राय/अभिमत से हस विभाग को अवगत करवे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के नागरीय विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 7.03.1998 मे यह स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 07.3.98 से पूर्व समाचार पत्रों को आवेटित भूमि दिनांक 7.3.98 के पत्र मे अंकित प्रथम आवेटन योग्य अधिकतम सीमा 4000 वर्गमीटर मे सम्मिलित भानी जावे अथवा पूर्व मे आवेटित भूमि को अलग प्रकरण मान कर दिनांक 07.03.98 के अनुसार नवे सिरे से अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक की भूमि का आवेटन पुनः कर दिया जावे। उक्त परिपत्र दि. 7.3.1998 राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है अतः हसके संबंध मे स्पष्ट विवेचन एवं निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही संभव है। अतः प्रासंगिक 7.3.1998 के परिपत्र के संबंध मे यदि राज्य सरकार के स्तर पर उक्त परिपत्र दि. 7.3.98 मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार वर्णित अवधि के पूर्व की आवेटित भूमि हस परिपत्र मे वर्णित 4000 वर्गमीटर के प्रथम आवेटन मे सम्मिलित नहीं होना माना जाता है तो 4000 वर्गमीटर तक प्रथम आवेटन माना जाकर तदनुसार कीमत लिया जाना उचित होगा और राज्य सरकार के स्तर पर यदि पूर्व की अवधि मे आवेटित भूमि को हस परिपत्र मे वर्णित 4000 वर्गमीटर से प्रथम आवेटन मे सम्मिलित होना माना जाता है तो 4000 वर्गमीटर तक उस सम्मिलित करते हुए तदनुसार कीमत लिया जाना उचित होगा, परन्तु चूंकि दिनांक 7.3.98 का पत्र राज्य सरकार द्वारा ही जारी किया गया है, हस विन्दु पत्र निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही संभव है। अतः राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15.03.07 के द्वारा चाही जा रही अन्य सूचनाओं के साथ प्रकरण पूर्ण तथ्यों सहित पुनः राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

13	1	प्रस्ताव संख्या 37.9(5)	राजस्थान खटीक समाज महासमिति को संशोधित साइट प्लान जारी किया जा चुका है जिसकी भूमि एवं सम्पत्ति समिति द्वारा पुष्ट कराई जानी है।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव किया है कि राजस्थान खटीक समाज महासमिति को राजस्थान आहार सभा के समीप भूखण्ड संख्या 1-बी व 1-बी-1 का आवेटन किये जाने के फलस्वरूप दोनों समाज मे विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण दोनों समाज के प्रतिनिधियों को श्रीमान आयुक्त महादेव, द्वारा व्यक्तिशः सुना गया एवं तत्पश्चात समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी महामति प्रकट की। जिसकी पालना मे राजस्थान खटीक समाज महासमिति को, आहार समाज को आवेटित की जाने वाली आंशिक भूमि को छोड़ते हुए पूर्व मे जारी क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल का संशोधित साइट प्लान जारी कर कायोंतर स्वीकृति चाही गई है। उपायुक्त जोन द्वारा स्पष्ट किया गया कि पूर्व मे किये गये आवेटन का खसरा नम्यर तथा क्षेत्रफल मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है क्षेत्र मीके पर साइट बदला गया है। प्रकरण पर विचार विमर्श कर जारी किये गये संशोधित साइट प्लान की कायोंतर स्वीकृति प्रदान की गई।
----	---	-------------------------	---	--

~~अति. आयुक्त (एल.वी.सी.)~~
उत्तर विकास प्राधिकरण, जयपुर

14	1	प्रस्ताव संख्या 37.9(6)	राजस्थान अहीर सभा को खटीक समाज समिति से आपसी समझौते के पश्चात बची हुई शेष भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 2740 वर्गमीटर (2290) वर्गमीटर है, अंवर्टन किये जाने के सबैध में जब कि मौके पर लगभग 2365 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध है अतः बची हुई भूमि 85 वर्गमीटर अन्य किसी उपयोग के योग्य न होने के कारण 2365 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजस्थान अहीर सभा को दिनांक 30.03.88 को 3520 वर्गमीटर भूमि श्री कृष्ण छात्रावास हेतु अंवर्टित की गई थी, तत्पश्चात अहीर सभा छात्रावास के पास रिक्त भूमि समाज के विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाये उपलब्ध कराये जाने की मांग की गई जिस पर दिनांक 23.03.1996 को राज्य सरकार द्वारा 2740 दर्भान्त (2290 वर्गमीटर) भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रस्तावित भूमि आवंटन से पूर्व ही इस भूमि को शामिल करते हये 4078 वर्गमीटर भूमि राजस्थान खटीक समाज महासमिति को अंवर्टित कर दी गई जिसके कारण राजस्थान खटीक समाज एवं अहीर सभा में विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों समाज के प्रतिनिधियों द्वारा आयुक्त महोदय से चर्चा कर विवाद निकटाया जाना चिन्हित किया गया। अहीर सभा को नाले से रिक्तलेम भूमि को शामिल करते हुए 4078 वर्गमीटर भूमि खटीक समाज को दिये जाने के पश्चात त्री कृष्ण छात्रावास के पीछे नाले के पास उपलब्ध जमीन को अहीर सभा को दिये जाने की सहमति के फलस्वरूप अब अहीर समाज को 2365 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जावे।
15	12	प्रस्ताव संख्या 37.9(7)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दण्ड तहसील आमेर को खेल के मैदान एवं भवन हेतु ग्राम दण्ड के ख.न. 3 कुल रक्का 15.15 हैं। प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि में से 6वांधा भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव किया है कि नई हांटन नीति के तहत ग्राम दण्ड तहसील आमेर के खेलसा न. 3 रक्का 15.15 है, को प्लानिंग कर 5 भूखण्डों में से भूखण्ड से 3 को नई होटल नीति 2006 के तहत नीलामी हेतु विजित निकलते ही ग्राम वासियों द्वारा पूर्व में जविप्रा द्वारा पत्रांक एस.टी.पी. (सी.पी.) डी- 477 दिनांक 05.8.93 जिसके द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दण्ड तहसील आमेर के लिये 6 बांधा भूमि खेल मैदान भवन हेतु अंवर्टन किये जाने के कम में जिला कलक्टर जयपुर को संशर्त अनापनि जारी की गई थी के आधार पर माननीय न्यायालय A.C.JM. (क.ख.) जयपुर जिला जयपुर से दिनांक 1.03.07 को अस्थाई निवारण प्राप्त की जिसके अनुसार जविप्रा को इस प्रकार पाबन्द किया है कि वह उक्त आदेश दिनांक 05.08.95 के भूतावित आईना आदेश तक उक्त आदेश में वर्णित भूमि की हद तक भीका स्थिति को यथावत बनाये रखे उक्त आदेश में वर्णित भूमि के के अलावा और किसी भूमि पर अप्रार्थी से 3 (जविप्रा) नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है।

~~अप्र० श्रीमति ग्रामीष~~
श्रीमति ग्रामीष (एल.पी.सी.)
प्राप्त विकास प्राधिकरण, जयपुर

इस सदर्भ मे दिनांक 4.04.07 को मौके पर संवैधित पक्षकारों सरपंच, सदस्य चंचायत समिति, प्रधानाध्यापक राज०उच्च प्राथमिक विद्यालय दण्ड एव उपस्थित ग्राम वासियों से मौके पर बातों की गई तथा मौके पर भाष की जाकर 6 बीघा भूमि विद्यालय हेतु चिकित करवाई गई जिस पर सभी हाय अपनी सहमति देते हुये पर्चा मौका पर हस्ताक्षर किये गये। उक्त 6 बीघा भूमि विद्यालय को आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश से साथ दी जाती है कि जविप्रा द्वारा विद्यालय को भूमि का आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प-3(55) नविवि/03/02 दिनांक 14.02.05 के अनुसरण मे किया जाता है, उक्त परिपत्र मे उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय को अधिकतम 4000 वर्गगज भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है जबकि प्रकरण मे बांधित 6 बीघा भूमि उक्त सीमा से अधिक हैं तथा चूक भूमि का आवंटन नि शुल्क चाहा जा रहा है अतः परिपत्र मे अंकित सीमा से अधिक तथा नि:शुल्क भूमि आवंटन के संबंध मे राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर तथा भूउपयोग उपान्तरण की आवश्यकतानुसार कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जावे।

16	10	प्रस्ताव संख्या 37.9(8)	ग्राम जामडोली मे शमशान हेतु भूमि आवंटन किये जाने चायत।	<p>उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जामडोली के ग्रामवासीयान द्वारा ग्राम जामडोली के खसरा नम्बर 119 की 2बीघा चरणाह भूमि को शमशान के लिए आवंटन चाहा जा रहा है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि ग्रामवासीयान द्वारा पूर्व से ही शमशान के कार्य मे ली जा रही है। अतः उक्त भूमि शमशान हेतु आवंटित की जावे।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श कर ग्राम जामडोली के खसरा नम्बर 119 की 2 बीघा भूमि को सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
17	6	प्रस्ताव संख्या 37.9(9)	भूखण्ड संख्या 15 खसरा नम्बर 432 ग्राम झोटवाडा की अधिक भूमि के आवंटन चायत।	<p>उपायुक्त जोन-6 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि श्री मोहनलाल व श्रीमति सुरेता मोणा द्वारा खसरा नम्बर 432 तारा नगर ढी के उत्तर मे, ग्राम झोटवाडा कॉर्नर भूखण्ड संख्या 15 क्षेत्रफल 190.66 वर्गमीटर को नीलामी मे दिनांक 7.2.04 को 2660/- प्रति वर्ग मीटर की दर से छूट किया गया था। कछ्जा पत्र दिनांक 27.11.04 को जारी किया जा चुका है। मौका गिरावं अनुसार उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 284.91 वर्गगज होता है जबकि नीलामी मे 227.95 वर्गगज भूमि हो छूट की गई है इस प्रकार अधिक भूमि 56.96 वर्गगज मे से 5.38वर्गगज गोलाई के क्षेत्रफल की भूमि कम करने पर शेष 51.58 वर्गगज भूमि भूपट्टी (Strip of land) का आवंटन किया जावे।</p> <p>विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन-6 द्वारा अवगत करवाया गया कि भूखण्ड संख्या 15 के साथ भूखण्ड संख्या 16, 17 एवं 18 मे भी मौके की स्थिति के अनुसार आवंटित क्षेत्रफल से प्रत्येक मे 56.96 वर्गगज अधिक क्षेत्रफल है।</p> <p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण मे उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 15 मे लगती हुई 51.58वर्गगज भूपट्टी (Strip of land) भूमि के रूप मे वर्तमान आवश्यक आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटित करने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि अन्य भूखण्ड 16, 17 एवं 18 के संबंध मे भी इसी अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।</p>

(Signature)
अति० आयुक्त (एल.वी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

18	10	प्रस्ताव संख्या 37.9(10)	ग्राम आमेर में गुलाबो सपेरा नृत्य एवं संगीत संस्थान हेतु भूमि आवंटित किये जाने बाबत।	<p>उपायुक्त जोन 10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के संदर्भ में गुलाबो सपेरा नृत्य एवं संगीत संस्थान को ग्राम आमेर में खसरा न. 718 क्षेत्रफल 0.69 है। ख.न 1344 रकबा 2.95 है, किस्म गे.मु. कुण्ड में से 1.31 है। भूमि (किस्म परिवर्तन होने की शर्त पर) आवंटित की जानी है इस हेतु गुलाबो सपेरा द्वारा भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संस्था का पंजीयन दिनांक 13.04.06 को हुआ है। संस्था द्वारा आवश्यक बिन्दुओं सहित परिपूर्ण परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है। मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल दर्शित है अतः संस्थानिक प्रयोजन हेतु भू उपयोग परिवर्तन कराया जाना आवश्यक है संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों के आय-चयन का व्यौरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपायुक्त द्वारा विचार विमर्श के दौरान व्यक्त किया गया कि मौके पर भूमि कन्वे कुण्डनुमा स्थिति में है।</p> <p>अतः विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि में खसरा नम्बर 1344 में से 1.31 हेक्टेयर भूमि को किस्म गे.मु. कुण्ड है। अतः और कुण्ड आदि की किस्म की भूमि बिना किस्म परिवर्तन के आवंटन योग्य नहीं है। अतः सर्वप्रथम उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे तथा खसरा नम्बर 718 रकबा 0. 69 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1344 की प्रस्तावित 1.31 हेक्टेयर भूमि के कुछ भाग पर अतिकमण बताया गया है। अतः उक्त अतिकमण को हटाने की कार्यवाही की जावे तथा भूउपयोग परिवर्तन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संपादित की जावे।</p> <p>संस्था द्वारा भूमि का आवंटन निःशुल्क चाहा गया है, परन्तु संस्था राज्य सरकार के परिपत्र ब्रमांक प-3(55)नविवि/3/02 दिनांक 14.2.05 में वर्णित अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तथा यह 3 वर्षों का आय-चयन का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा परियोजना रिपोर्ट (Project Report) भी प्रस्तुत नहीं की है। अतः उक्त परिपत्र में वर्णित मानदण्डों को पूरा नहीं करती है। अतः मौके व रिकार्ड तथा नियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार कमियों की स्थिति के सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आवश्यक शिधिलता हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।</p>
19	9	प्रस्ताव संख्या 37.9(11)	सेन्ट्रल स्पाइन जगतपुरा (गोनेर रोड) पर पैट्रोल पम्प हेतु भूमि आवंटन बाबत।	<p>उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि बी.पी.सी.एल द्वारा सेन्ट्रल स्पाइन जगतपुरा में पैट्रोल पम्प हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एस. 44 क्षेत्रफल 5445.46 वर्गमीटर भूमि में से 1200 वर्ग मीटर भूमि का पैट्रोल पम्प हेतु आवंटन चाहा जा रहा है, अतः आवंटन किया जावे। आवंटन की जाने वाली भूमि के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श में यह तथ्य सामने आया है कि उक्त भूखण्ड ग्राम महल के खसरा न. 230, 231, 231/807 पर सूचित है। यह भूमि रीकों द्वारा आवाप्त की गई है इस भूमि का भूमि अवासि अधिकारी रीकों द्वारा दिनांक 15.12.2000 को अवार्ड जारी किया गया था भूमि का कठजा वर्तमान में रीकों के पास है जविप्रा को अभी</p> <p style="text-align: center;"><i>(अग्रगत) कल.पी.सी.)</i></p>

			तक उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथा स्वामित्व भी जविप्रा के नाम नहीं आया है। पूर्व में एच.पी.सी.एल को वर्तमान शारणिक्य आरक्षित दर पर 900 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया था।
			प्रकरण पर समिति हारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवंटित वी जाने वाली भूमि जय तक जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम नहीं आ जाती। तब तक आवंटन किया जाना संभव नहीं है। भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम आने के पश्चात ही प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावे।
20	1	प्रस्ताव संख्या 37.9(12)	पुलिस मुख्यालय हेतु भूमि आरक्षित किये जाने वायत।
			उपायुक्त जोन-1 हारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि महानिर्गस्क पुलिस (आयोजना एवं कल्याण) राजस्थान जयपुर द्वारा पुलिस मुख्यालय भवन हेतु 10000 वर्गगज भूमि आवंटन किये जाने का अनुरोध किया है। अतः राजमहल योजना (संस्थानिक) स्थित भूमि जिसका भू.स. जी-1, जी-2 क्षेत्रफल 6434.75 वर्गमीटर (7695.41 वर्गगज) है, अतः पुलिस मुख्यालय भवन हेतु आरक्षित की जावे।

पूर्व में भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 10.5.06 में प्रस्तुत किया जाकर निर्णय लिया गया था कि स्टेचू सर्किल के पास जयपुर उद्योग की आवासाधीन भूमि में से 10000 वर्गगज भूमि पुलिस मुख्यालय हेतु ए.ए.एफ.आई.आर. के स्थगन आदेश को प्रभावित किये चिना एस.एल.पी. संख्या 4088/2005 के निर्णयाधीन आरक्षित की जाकर प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे, किन्तु उक्त भूमि पर वर्तमान में मा. उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी में स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण आवाजि की कार्यवाही लंबित है। अतः विकल्प के रूप में उपरोक्त भूमि को आरक्षित किया जाना है।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावनासार राजमहल योजना (संस्थानिक) में भूखण्ड संख्या जी-1 व जी-2 क्षेत्रफल 6434.75 वर्गमीटर भूमि पुलिस मुख्यालय (P11Q) हेतु आरक्षित की जावे तथा पूर्व में पुलिस मुख्यालय (P11Q) के लिए आरक्षित अन्य भूमि के आवधान को प्रत्याहारित करने की कार्यवाही की जावे।

21	12	प्रस्ताव संख्या 37.9(13)	बीणा कला अकादमी संस्थान को भूमि आवंटन करने वायत।
----	----	--------------------------	--

उपायुक्त जोन-12 हारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री क.सी.मालू, अध्यक्ष, बीणा कला अकादमी संस्थान ने राजस्थान के साथ संगीतगीत संस्कृति, पर्योग्यत्वाधीन और जनजीवन पर शोध प्रशिक्षण प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार करने हेतु कला ग्राम स्थापना निर्माण एवं परिचालन हेतु उच्चशक्ति भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। उक्त संस्था का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.10.05 को हुआ है जिसके कारण पंजीयन समयावधि में छृट हेतु भी संस्था ने निवेदन किया है।

जयपुर विकास आयुक्त हारा संस्था को भूमि आवंटित किये जाने के लिये आति. शुयुक्त (पूर्व), अति.आयुक्त एस.पी.सी. अति.निदेशक (आर.एम.) एवं उपायुक्त जोन-12 की एक कमीटी गठित की जिसकी बैठक दिनांक 21.04.07 को आयोजित की गई। बैठक में उक्त संस्था को 5 बोधा भूमि नियमानुसार हेतु आयुक्त महादेव, के अनुमोदन पश्चात एस.पी.सी. की

अति. श्रायुक्त (एस.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

बैठक में निर्णयार्थ प्रकरण को रखे जाने की अनुशंसा की गई।

Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land)

Rules 1974 के नियम 19 में वर्णित संस्था को क्षेत्री में यह संस्था आती है, इन्ही नियमों में वर्णित शर्तों पर भूमि आंवंटित किया जाना प्रस्तावित किया है।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। संस्था का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.10.05 को हुआ है तथा संस्था कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में होनी आवश्यक है। संस्था द्वारा गत तीन वर्षों के आय व्यय का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, वित्तीयस्त्रोतों की स्थिति भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। जयपुर विकास आयुक्त महोदय, द्वारा गठित कमेटी ने 5 बीघा भूमि नियमानुसार आंवंटन किये जाने की राय दी है।

अतः विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि उक्त संस्था को ग्राम लबाना तहसील आमेर के खसरा न. 132 से 136, 145, 216, 217, 220 से 230, 234 से 240, 243 से 248, 252 से 256, 258, 259, 262, 263, 264 कुल किता 42 रकमा 18.88 है। भूमि जो जविप्रा के स्वामित्व की है, मे से 5 बीघा भूमि जोन की संस्थानिक आरक्षित दर पर आंवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु संस्था द्वारा रियायती दर पर भूमि आंवंटन चाहा गया है। अतः प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित आवश्यक शिथिलता हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

22	11	प्रस्ताव संख्या 37.9(14)	ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर के गत खसरा नम्बर 261 हाल खसरा नम्बर 614 से 620 रकमा 2.15 हैंकटेयर भूमि जो कि उद्योग हेतु लीज होल्ड की थी, परन्तु सेटलमेंट में सिवाय चक होने से जविप्रा के नाम दर्ज हो गई। इस भूमि को पुनः लीज होल्ड हेतु टिप्पणी भेजे जाने के क्रम में।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जिला कलक्टर जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 15451 दिनांक 30.12.06 द्वारा अवगत कराया है कि तहसील सांगानेर के ग्राम मदरामपुरा के गत ख.न. 261 रकमा 8 बीघा 10 बिस्वा सिवाय चक भूमि को ओद्योगिक क्षेत्र हेतु आरक्षित किया गया था। तत्पश्चात् निदेशक, उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक 869 दिनांक 31.3.79 द्वारा मैसर्स जयपुर पोल्स उद्योग द्वारा राजस्थान वित्त निगम की देनदारी चुकता नहीं करने पर वित्त निगम द्वारा उक्त भूमि का विक्रय जयपुर प्रेस्ट्रेस प्रोडक्ट को किया जाकर उनके पक्ष में लीजडोड संशोधन हेतु लिखा है। प्रश्नगत भूमि के नये ख.न 614 से 620 बने हैं जिनका क्षेत्रफल 2.15 हैंकटेयर है तथा भूमि जविप्रा के नाम दर्ज की गई है जबकि उक्त भूमि उद्योग हेतु लीज पर आंवंटित होने के कारण राजस्व रेकार्ड में उद्योग विभाग/लीज पर आंवंटन का अंकन होना चाहिये। इस पर निर्णय लिया जाकर जिला कलक्टर जयपुर को टिप्पणी भिजवाई जानी है।
23	9	प्रस्ताव संख्या 37.9(15)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टीलावाला को भूमि आंवंटन बाबत।	प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया कि चूंकि भूमि ओद्योगिक क्षेत्र हेतु आरक्षित की जाकर उद्योग विभाग द्वारा आंवंटन की जाकर लीज डॉड जारी की गई थी और वर्तमान में जविप्रा के नाम दर्ज हो गई है। अतः जिला कलक्टर, जयपुर को प्रकरण के गुणावग्रुण के आधार पर (As per merits) तथ्यों सहित अनापत्ति भिजवायी जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

~~मृदुली~~
श्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

तथा शेष भूमि रिक्त है। अतः विद्यालय को उक्त भूमि का आंदोलन किया जाए।

विचार विमर्श उपरान्त उक्तामुसार भूमि आंदोलन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है तक चूंकि विद्यालय द्वारा भूमि का आंदोलन निःशुल्क नामा जा रहा है अतः निःशुल्क भूमि आंदोलन के संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर तथा यदि भू-उपयोग उपान्तरण को आवश्यकता हो तो भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए आंदोलन की कार्यवाही को जाए।

तत्परचात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

(गोपनीय) २५/५/२००७

अतिः श्राव्युक्ति सैल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्रशिक्षण, जयपुर
आंतरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- 3- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
- 4- प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
- 5- श्री मुरेन्द्र यारोक, विधायक, हवामहल
- 6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फारी
- 7- श्री मोहन लाल गुडा, विधायक, किशनपोल
- 8- प्रो० बीरुल चिंह सर्टाइट, विधायक, बीपीपांडे
- 9- श्री कालीचरण मरीफ, विधायक, जौहरी बाजार
- 10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, चस्ती
- 11- श्री नवरत्न राजीवर्य, विधायक, सोभर
- 12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 13- निजी सचिव, जयपुर निकाम आयुक्त, जयपुर विकास प्रशिक्षण, जयपुर
- 14- जिला कलक्टर, जयपुर
- 15- सूख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
- 16- सूख्य अधिकारी, मार्गजीविक नियोजन विभाग, जयपुर
- 17- सूख्य अधिकारी, जन स्वप्रत्य अभियानिकों विभाग, जयपुर
- 18- सूख्य अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम निमिट्ट, जयपुर
- 19- सचिव, जयपुर विकास प्रशिक्षण, जयपुर
- 20- निरेण्यक (वित्त/अधिकारी/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
- 21- अंतरिक्त आयुक्त (पूर्व/परिचय/एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर
- 22- अंतरिक्त नियोजक (सञ्चाल एवं सम्पर्क नियंत्रण), जविप्रा, जयपुर
- 23- उपायुक्त जोन-1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
- 25- राक्षत पत्रावली

(गोपनीय)

अतिः श्राव्युक्ति सैल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्रशिक्षण, जयपुर
आंतरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति-पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 37 वीं बैठक दिनांक: 25.4.07 में उपस्थिति रहे अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की सूची :-

क्रम सं.	नाम अधिकारियों यथ पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डॉ.बी.गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री जी.एल.गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र पारोक, भाननीय विद्यायक	सदस्य
4.	श्रीमति कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री शशांक महागावंकर, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
6.	श्री मातादीन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य, सचिव
7.	श्री ज्ञानराम, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
8.	श्री रामनिवाम धोणा, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
9.	श्री एम.एल.गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
10.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमंत्रित
11.	श्री महेन्द्र कुमार पारख, उपायुक्त जोन-4, जोन-10	विशेष आमंत्रित
12.	श्री देवाराम सेना उपायुक्त जोन-6	विशेष आमंत्रित
13.	श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
14.	श्री लंखराज तोपावडा, उपायुक्त जोन-8	विशेष आमंत्रित
15.	श्री भगवान महाय शर्मा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
16.	श्री अरुण गर्मा, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित
17.	श्री हन्द सिंह सोलंकी, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित

महात्मा गांधी
महात्मा गांधी (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर